मध्यप्रदेश में पंचायत राज– 1

# रूरल सेनेटरी मार्ट

(गाँवों में स्वच्छ शौचालय की निर्माण सामग्री की दुकानों के लिये मार्गदर्शिका)

यूनिसेफ, भोपाल

## रूरल सेनेटरी मार्ट की जरुरत क्यों है ?

बच्चों के लिए हुए शिखर सम्मेलन में यह लक्ष्य तय किया गया था कि सन् 2000 तक दुनिया भर के लोगों को शौचालय और स्वच्छता की सुविधा जरुर मिल जाए। भारत में शौचालयों की संख्या बहुत कम है। 1988-89 में हुए एक राष्ट्रीय सर्वे में यह बात सामने आई कि पूरे देश की ग्रामीण आबादी में से सिर्फ 11% परिवारों के पास शौचालय की सुविधा थी इनमें से सिर्फ 3% लोगों के पास यह सुविधा किसी सरकारी कार्यक्रम के तहत थी और बाकी 8% परिवारों के पास यह सुविधा उनके अपने प्रयासों से थी। इससे यह पता चलता है कि स्वच्छता के क्षेत्र में निजी प्रयासों से काफी काम किया जा सकता है। यही बात भारत के शहरी इलाकों पर भी पूरी तरह लागू होती है जहाँ पर कि एक तिहाई आबादी के पास पाखाने की सुविधा नहीं है।

आंकड़ों की ही अगर बात करें तो 1990 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत में करीब 10 करोड़ परिवारों के पास पाखाने की सुविधा नहीं थी। देश की शहरी आबादी में से करीब डेढ़ करोड़ परिवारों के सामने भी पाखाना न होने की समस्या थी। पिछले 5 वर्षों में आबादी बढ़ने के साथ-साथ ऐसे परिवारों की संख्या भी बढ़ी ही है। एक मोटा अनुमान है कि यदि इन सब परिवारों को लेट्रिन की सुविधा दी जाए तो इस पर करीब 20 हजार करोड़ पर रु. खर्च होंगे। यह बात बिल्कुल साफ है कि अकेले सरकार इतनी बड़ी रकम का इन्तजाम इस काम के लिए नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में उम्मीद सिर्फ इस बात में दिखाई देती है कि लोग खुद अपने-अपने घरों में पाखाने का इन्तजाम करने के लिए कोशिश शुरु करें तभी हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कई राज्यों में जहाँ-जहाँ सरकारी मदद (सबसिडी) से लेट्रिन बनाने का काम शुरु किया गया है वह छोटे-छोटे इलाकों तक ही सीमित है और आबादी का ज्यादातर हिस्सा इस वजह से लेट्रिन की सुविधा पाने से वंचित रह जाता है। लगभग सभी गाँवों में हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो सरकारी मदद का इन्तजार किए बगैर अपने घरों में पाखाने और साफ-सफाई की सुविधाएँ बनाना चाहते हैं उन्हें जरुरत सिर्फ इस बात की होती है कि उन्हें कम कीमत में अच्छे किस्म की लेट्रिन बनाने की तकनीकी जानकारी और निर्माण के लिए जरुरी सामग्री उचित दामों पर, आसानी से नजदीक ही मिल जाए। गाँवों-गाँवों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रूरल सेनेटरी मार्ट खोलने से इस काम में बड़ी मदद मिलेगी। जब

लोगों को निर्माण सामग्री अपने गाँव में ही या गाँव के आसपास सही कीमत में मिलेगी तो निश्चित ही वे इस सामग्री का उपयोग करते हुए अपने घरों में लेट्रिन वनवाने का काम शुरु कर देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि जब गाँव में कुछ स्वच्छ शौचालय हो जायेंगे तो उन परिवारों की देखा-देखी गाँव के दूसरे लोग भी अपने घरों में लेट्रिन बनवाने की बात गंभीरता से सोचेंगे और उसके लिये कुछ न कुछ जरुर करेंगें।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम जिसे अंग्रेजी में Central Rural Sanitation Programme कहते हैं दरअसल एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य सिर्फ लेट्रिन बनाने के काम को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार में वह तबदीली लाना है जिससे कि गाँव का जनजीवन स्वच्छ और स्वास्थ्य वर्धक हो सके और लोग अपने निजी जीवन में भी साफ सफाई इत्यादि की वे आदतें डालें जो कि उन्हें बीमार पड़ने से बचाती हैं। इस कार्यक्रम में स्वच्छता की जो परिकल्पना की गई है वह रूरल सेनेटरी मार्ट में मिलने वाली वस्तुओं और सेवाओं से जाहिर होती है। एक बार यदि किसी गाँव में रूरल सेनेटरी मार्ट खुल जाए तो थोड़े दिनों में वह गाँव के लोगों के लिए ऐसी जगह बन जाएगा जहाँ से उन्हें लेट्रिन बनाने का सामान ही नहीं बल्कि साफ सफाई को बढ़ावा देने वाले कई आईटम और साफ सफाई की जानकारी भी प्राप्त होगी। रूरल सेनेटरी मार्ट का एक और फायदा यह भी है कि जिन इलाकों में गाँव के लोगों को ही हेंडपंप मरम्मत मेनटेन करने का काम सिखा दिया गया है वहाँ पर हेंडपंप के कलपुर्जे भी इस दुकान से मिल सकेंगे। इन दुकानों पर इलाके के प्रायवेट हेंडपंप मेकेनिक भी अपना नाम लिखा सकेंगे और यदि किसी गाँव में हेंडपंप खराव होता है तो वहाँ के लोग रूरल सेनेटरी मार्ट के संचालक से उनके गाँव में मेकेनिक भेजने के लिए कह सकते हैं। इसी तरह इस दुकान पर जीवन रक्षक घोल (O.R.S) के पैकेट भी रखे जा सकते हैं जिनसे दस्त के मरीजों की जान बचाई जा सकती है।

रूरल सेनेटरी मार्ट की स्थापना एक ऐसा कदम है जिससे ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय बनाने के काम आने वाली और साफ-सफाई की दूसरी सामग्री व्यावसायिक ढंग से आसानी से मिल सकेगी और इसका नतीजा यह होगा कि गाँवों में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिये कोशिश करना शुरु करेंगे।



## रूरल सेनेटरी मार्ट क्या होता है ?

रूरल सेनेटरी मार्ट हार्डवेयर की ऐसी दुकान है जो सिर्फ स्वच्छ शौचालय बनाने के सामान की ही नहीं बल्कि दूसरी कई स्वच्छता सामग्री और सेवाओं की बिक्री भी करेगी। यह एक ऐसा व्यापारिक कार्य है जिसका उद्देश्य पूर्णत: सामाजिक है।

रूरल सेनेटरी मार्ट सिर्फ एक सामान बेचने वाली दुकान ही नहीं है बल्कि जो लोग स्वच्छ शौचालय या साफ सफाई की दूसरी बातें अपनाना चाहते हैं, उनके लिए सलाह और सहायता केन्द्र भी है। रूरल सेनेटरी मार्ट कम लागत में बनने वाले स्वच्छ शौचालयों के कई तरह के डिजाइन और उन्हें बनाने की तकनीक भी प्रदान करता है। जिन्हें अपने घरों में स्वच्छ शौचालय बनाना है उन्हें ट्रेंड मिस्त्रियों का पता भी यहाँ से मिल सकता है। इस प्रकार रूरल सेनेटरी मार्ट एक तरह का सर्विस सेन्टर भी है।

संक्षेप में कहें तो रूरल सेनेटरी मार्ट एक ऐसी दुकान है जहाँ पर एक ही छत के नीचे ग्रामीण जनता को सफाई से संबंधित अपनी आवश्यकता की सभी चीजें और सेवाएँ एक साथ मिल सकती हैं।

## रूरल सेनेटरी मार्ट में क्या बिकता है ?

रूरल सेनेटरी मार्ट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न तरह के स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिये जरुरी सामग्री की बिक्री करना और उस तरह की लेट्रिन बनाने की जानकारी और मार्गदर्शन देना जो कि तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से लोगों को उपयुक्त लगें। रूरल सेनेटरी मार्ट में साफ सफाई से संबंधित दूसरी चीजे जैसे कि जानवरों के पानी पीने की हौदी, उन्नत चूल्हा वगैरह भी मिलते हैं। इस प्रकार रूरल सेनेटरी मार्ट एक ऐसी दुकान होगी जो कि अपने इलाके की दूसरी हार्डवेयर दुकानों से कई मामलों में अलग होगी।

सेनेटरी मार्ट में निम्नलिखित श्रेणियों के मुताबिक सामग्री बिकना चाहिए:

**श्रेणी 1.**

इस श्रेणी में वह सामान आता है जो स्वच्छ शौचालय बनाने के काम आता है जैसे : पैन (खुड्डी), ट्रैप (चीनी मिट्टी का घुमावदार पाइप जो खुड्डी में जुड़ता है), फुटरेस्ट (बैठक),

पिटकवर (गड्ढे का ढक्कन), पाइप, दरवाजे, खिड़की के चौखट और सीमेंट, रेत, ईंट और फर्शी वगैरह ।

रूरल सेनेटरी मार्ट में बिक्री के लिए अलग-अलग तरह के हेंडपंप और हेंडपंपों के कलपुर्जे और ओ. आर. एस (जीवन रक्षक घोल के पैकेट भी) रखे जाना चाहिए ।

**श्रेणी 2.**

इस श्रेणी में वो चीजें आती है जिनका सम्बन्ध घर की साफ सफाई से है जैसे : पके हुए खाने को सुरक्षित रखने के लिए जालीदार अलमारी, मटके से पानी निकालने के लिए लंबी डंडी वाली लुटिया, लंबी गर्दन वाली सुराही, पानी के फिल्टर और पाखाने की सफाई के लिए ब्रश, हेंडिल वाला झाड़ू और फिनाइल वगैरह ।

**श्रेणी 3.**

इस श्रेणी में वे चीजें शामिल हैं जिनका संबंध शरीर की स्वच्छता यानि व्यक्तिगत स्वच्छता से है जैसे साबुन, नेलकटर, जूता-चप्पल, कंघा वगैरह वगैरह । इस पुस्तिका के अंत में उन सभी आइटमों की एक सूची दी गयी है जिनका हर सेनेटरी मार्ट में होना जरुरी है ।

## रूरल सेनेटरी मार्ट कहाँ खोला जाना चाहिए ?

चूँकि रूरल सेनेटरी मार्ट सामाजिक भलाई के उद्देश्य वाली एक व्यापारिक संस्था है इसलिए यह बात नहीं भूलना चाहिए कि दुकान अपने दम-खम पर चलने की क्षमता रखती हो । इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुकान के लिए सही जगह का चुनाव किया जाना चाहिए । रूरल सेनेटरी मार्ट हमेशा ऐसे शहर या कस्बे में हो जहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों से काफी लोग खरीदारी करने आते हों । यह बात भी देखी जाना जरुरी है कि आसपास की ग्रामीण आबादी पैसे के हिसाब से थोड़ी बेहतर हो यानि कि आसपास के इलाके में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो और ज्यादा फसलें ली जाती हों । ऐसा इसलिए भी जरुरी है क्योंकि ऐसे इलाकों में आमतौर पर खुले में पाखाना करने की जगहों की भी कमी होती है । दुकान खोलने के लिए कस्बा या शहर चुनते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है कि आसपास के इलाके में जनसंख्या का घनत्व कितना है, साक्षरता का प्रसार कितना है और लोगों की माली हालत कैसी है ।



यह और अच्छी बात होगी कि दुकान उस जगह पर खोली जाए जहाँ पर कि तहसील कार्यालय, ब्लाक कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद, उप पंजीयक का दफ्तर, बस स्टेण्ड या रेल्वे स्टेशन वगैरह हों तो और अच्छी बात है ।

## रूरल सेनेटरी मार्ट को कौन चलायेगा ?

रूरल सेनेटरी मार्ट कितना अच्छा चलता है यह बात इस पर निर्भर करती है कि इसे कौन सी एजेन्सी या संगठन चला रहा है । इस प्रकार की संस्था को ग्रामीण जनता के लिये उपयोगी सामग्री का निर्माण करने या उसकी खरीद-फरोख्त करने का पर्याप्त अनुभव हों । यदि संस्था संलग्न सूची में बताये गये आइटमो का निर्माण या व्यापार पहले से कर रही है तो और भी अच्छी बात है ।

सहकारी क्षेत्र में चलने वाली दुकानें, कृषि सेवा केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग की दुकानें इत्यादि इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं । रूरल सेनेटरी मार्ट चलाने की जिम्मेदारी गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सेवी संस्थाओं को भी दी जा सकती है बशर्ते कि वे इस काम में रुचि रखते हों और वे अपने इलाके में अच्छे से स्थापित हों । डवाकरा (DWCRA) समूहों द्वारा भी रूरल सेनेटरी मार्ट चलाने का काम हाथ में लिया जा सकता है ।

## रूरल सेनेटरी मार्ट शुरु करने के लिए पैसे का इन्तजाम कैसे करें ?

रूरल सेनेटरी मार्ट चलाने के लिए पैसे की जरुरत दो तरह से होती है :

1. पहली जरुरत होती है दुकान शुरु करने के लिए उस खर्च की जो एक ही बार करना पड़ता है जैसे कि दुकान में काउन्टर, शेल्फ (अलमारी), साइन बोर्ड, बिजली फिटिंग वगैरह के खर्चे ।
2. दूसरी तरह से पैसे की जरुरत होती है दुकान चलाने की यानि कि वह पैसा जो आता है और बार-बार खर्च होता है । इस खर्च में सभी तरह के आइटम खरीदने का खर्च, बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन आदि का खर्च, किराया, बिजली का खर्च और मैनेजर तथा दूसरे कर्मचारियों को दी जाने वाली तन्ख्वाह ।

इन दोनों तरह के खर्चों का अंदाज लगाना जरुरी है ताकि किसी तरह की वित्तीय कठिनाई इस संस्था को चलाने में न आए । मटेरियल का स्टॉक उतना ही रखा जाना चाहिए जो कि जल्दी बिक जाए और नया सामान खरीदा जा सके ।

रूरल सेनेटरी मार्ट शुरु करने के लिए इच्छुक संस्था अपने स्वयं के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती है। यदि संस्था के पास पर्याप्त संसाधन नही हैं तो वे बैंको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन ले सकते हैं।

रूरल सेनेटरी मार्ट शुरु कराने के लिए यूनिसेफ भी दो तरह से सहायता करता है। इच्छुक संस्थाओं से जिला पंचायत के मार्फत आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसकी जाँच के बाद संतुष्ट होने पर यूनिसेफ 12,000 रु. की एक मुश्त नगद सहायता दुकान शुरु करने के लिए दे सकता है। इस राशि का इस्तेमाल दुकान में काउन्टर, अलमारियाँ बनवाने, बिजली की फिटिंग, साइन बोर्ड जैसे एक बार होने वाले खर्चों में ही किया जा सकता है। दुकान को ठीक से चलाने के लिए एक प्रशिक्षित मैनेजर की तनखा यूनिसेफ देता है। मैनेजर की तनखा के रूप में सहायता सिर्फ एक साल के लिए दी जाती है इसकी अधिकतम सालाना राशि 18,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

## रूरल सेनेटरी मार्ट एक निर्माण इकाई भी बन सकता है

कोई भी रूरल सेनेटरी मार्ट चाहे तो अपना स्वयं का निर्माण केन्द्र भी शुरु कर सकता है इससे जहाँ एक ओर मार्ट चलाने वाली संस्था को माल की खरीद में बचत होगी वहीं ग्राहकों को भी अपनी जरुरत की निर्माण सामग्री सस्ते दामों पर मिल सकेगी। इसका एक और फायदा यह भी होगा कि निर्माण के काम में कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो रूरल सेनेटरी मार्ट अपना खुद का निर्माण केन्द्र खोलना चाहते हैं उन्हें यूनिसेफ और भारत सरकार द्वारा ज्यादा मदद दी जाती है।

## पहला कदम कौन उठाये

अब पंचायत राज व्यवस्था यह जिम्मेदारी है सरपंचों, जनपद पंचायत अध्यक्षों और जिला पंचायत अध्यक्षों की। जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री (ई. ई.) से संपर्क कर इस बारे में ठोस शुरुआत कर सकते हैं।

रूरल सेनेटरी मार्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए लिखें।

**डॉ. एम.एन. कुलकर्णी**
राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ
E 1/191, अरेरा कॉलोनी भोपाल
टेलीफोन नम्बर : 566568, 565031



# रूरल सेनेटरी मार्ट के बारे में आवश्यक जानकारी

राज्य ..................जिला ............... विकास खण्ड .............

## कस्बे/शहर के बारे में जानकारी

1. कस्बे/ शहर का नाम

2. कस्बे/शहर की जनसंख्या

3. रोजाना आने-जाने वाले लोगों की संख्या
   (क) अधिकतम
   (ख) सामान्यत:

4. क्या कस्बे/शहर में मंडी है ?

5. यदि हाँ, तो बाजार में आने वाले सामान की सालाना कीमत क्या होती है ?

6. आपका कस्बा क्या है ?
   (विकास खण्ड मुख्यालय/तहसील मुख्यालय/जिला मुख्यालय)

7. क्या आपके शहर में उप पंजीयक का आफिस है ?

8. क्या आपके शहर में बस अड्डा है ?

9. आपके शहर में कितने सिनेमा हाल हैं ?

10. आपके शहर में बैंको की कितनी शाखाएँ हैं ?

11. आपके शहर में थोक के व्यापारियों की क्या संख्या है ?

12. क्या आपके शहर में पेट्रोल पंप है ?



## (ख) भीतरी इलाके के बारे में जानकारी

1. आपके शहर पर कितने गाँव निर्भर हैं ? संख्या लिखें।

2. उन गाँवों की कुल जनसंख्या कितनी है ?

3. इन गाँवों में आबादी का घनत्व क्या है ?

4. इन गाँवों में प्रमुख फसलें क्या हैं ?

5. आपके इलाके में सिंचाई की स्थिति कैसी है ?
अच्छी/सामान्य/खराब

6. आपके इलाके में फसलों की आनावरी कैसी है ?
अच्छी/सामान्य/खराब

7. आपके इलाके में साक्षरता का स्तर कैसा है ?

8. आपके इलाके में लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है ?
गरीब/बहुत गरीब नहीं/अमीर

## (ग) एजेन्सी के बारे में जानकारी

1. रूरल सेनेटरी मार्ट चलाने वाली एजेन्सी का नाम क्या है ?

2. यह एजेन्सी किस तरह का संगठन है ?
(सहकारी/स्वयंसेवी/किसी अन्य तरह की)

3. किस प्रकार की गतिविधी एजेन्सी ने शुरू की है ?
(अर्थात कितने गाँव/कितनी जनसंख्या को एजेन्सी की सेवाएं मिल रही हैं)

4. यह एजेन्सी सिर्फ सेनेटरी का सामान बेचने का काम करती है या बनाने का भी ?

5. यदि हाँ, तो एजेन्सी कौन से आइटम बनाती है ?

6. पिछले तीन सालों के दौरान एजेन्सी ने कितनी लागत की वस्तुओं का निर्माण और व्यापार किया ? वर्षवार लिखें।

7. पिछले तीन सालों के दौरान एजेन्सी ने कितना मुनाफा कमाया ? वर्षवार लिखें।

8. यदि एजेन्सी आईटम बनाने या उनका व्यापार करने के क्षेत्र में नहीं है तो पिछले तीन वर्ष के दौरान एजेन्सी की गतिविधियों से कितने रुपयों का टर्नओवर हुआ ? वर्षवार लिखें।

9. क्या एजेन्सी का अपना बैंक अकाउन्ट है ?



10. बैंक द्वारा एजेन्सी के लिए क्या ऋण सीमा (Cash Credit Limit) तय की गई है ?

11. क्या संस्था का आडिट होता है ? यदि हाँ तो पिछला ऑडिट कब हुआ था और किसने किया था ?

12. जिस शहर/कस्बे में रूरल सेनेटरी मार्ट खोला जाना प्रस्तावित है वहाँ एजेन्सी के पास क्या अपना कोई शोरूम/दुकान वगैरह है क्या ?

13. क्या एजेन्सी के पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान के लिये बाजार तैयार करने और बेचने का काम करते हों ?

14. यदि हाँ तो ऐसे लोगों की संख्या लिखें।

15. एजेन्सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और उनके पद लिखें।

*(यदि जानकारी भरने के लिए दी गयी जगह कम पड़े तो कृपया सादे कागज पर जानकारी लिख दें)*

04255
COMMUNITY HEALTH CELL
LIBRARY AND DOCUMENTATION UNIT
BANGALORE

# रूरल सेनेटरी मार्ट में क्या-क्या सामान होना चाहिए ?

प्रत्येक रूरल सेनेटरी मार्ट में बिक्री के लिए निम्नलिखित सामान हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। इनमें से कई चीजों के नाम हिन्दी में नहीं हैं इसलिए उन चीजों के अंग्रेजी नाम ही इस्तेमाल किये जा रहे हैं :

1. फाइबर गिलास का बना पैन और ट्रैप
2. चीनी मिट्टी का बना पैन और ट्रैप
3. सीमेन्ट या मोजाइक का बना पैन और ट्रैप
4. रेडीमेड आर.सी.सी./एफ.सी. बैठक जिसके साथ ही वाटरसील (जलबंद) पैन/ट्रैप और फुटरेस्ट (पाँव रखने की जगह)
5. 75 मिलीमीटर व्यास के सीमेन्ट/पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई. पाइप्स
6. पिट कवर (गोल और आयताकार)
7. पाखाने के लिये दरवाजा (स्थानीय सामग्री से बना हुआ)
8. सीमेन्ट
9. ईंट
10. रेत
11. लोहे की छड़ें
12. पकी हुई मिट्टी/पत्थर की फर्शी
13. पानी के कनेक्शन के लिए जी.आई. पाइप/टोटियाँ
14. बेलचा/फावड़ा
15. कुदाल
16. दरवाजा फिट करने का सामान (दरवाजे के हेंडल, कब्जे, नटबोल्ड वगैरह-वगैरह)
17. तार की जाली (अलग-अलग साइज में)
18. छत बनाने का सामान
19. हाथ गाड़ी



20. कचरा पेटी
21. सुराही/मटका
22. जानवरों के पानी पीने के लिये रेडीमेड हौदी
23. खाना सुरक्षित रखने के लिये जालीदार अलमारी (लकड़ी, स्टील या एल्यूमीनियम)
24. स्थानीय जरुरत के अनुसार जूता-चप्पल इत्यादि।
25. नहाने और हाथ धोने के लिये प्रचलित साबुन
26. दाँत साफ करने के लिये स्थानीय माँग के अनुसार टूथब्रश, टूथपेस्ट/टूथपाउडर
27. नाखून काटने के लिये नेलकटर
28. फिटकरी/क्लोरीन की गोली
29. पखाने की सफाई के लिये हेन्डिल वाला ब्रुश
30. ब्लीचिंग पाउडर/फिनाईल
31. उन्नत चूल्हा
32. पानी साफ करने के लिए फिल्टर (मिट्टी, प्लास्टिक या स्टील)
33. पोंछा लगाने का कपड़ा
34. पानी की टोटियाँ
35. कंघे (बालों के लिये)
36. झाडू
37. कई तरह की बाल्टियाँ
38. बच्चों के लिये छोटे पखाने
39. अलग-अलग तरह के हेंडपंप
40. हेंडपंपों के कलपुर्जे
41. जीवन रक्षक घोल के पैकेट (W.H.O) फार्मूला
42. जचकी में इस्तेमाल के लिये दाई किट
43. बगैर धुएँ का चूल्हा बनाने का सामान
44. मच्छरदानी (बच्चों की और बड़ों की)
45. मच्छर भगाने की दवाइयाँ

# रूरल सेनेटरी मार्ट के लिए सहायता

रूरल सेनेटरी मार्ट शुरू करने वाली सहकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं को यूनिसेफ द्वारा शुरू में ही 50,000 रुपये की सहायता बगैर ब्याज के लोन (ऋण) के रूप में दी जाती है। संस्था द्वारा इस राशि का उपयोग रिवाल्विंग फंड के तौर पर सेनेटरी मार्ट से बिक्री के लिए सामान खरीदने में किया जाता है। जैसे-जैसे सामान बिकता रहता है, वापस आने वाली रकम से नया माल खरीदा जाता है। इस रिवाल्विंग फंड के अलावा यूनिसेफ 12,000 रुपये की नकद और एकमुश्त सहायता दुकान में बोर्ड लगवाने, अलमारियाँ बनवाने या जरूरी सजावट के लिए देता है। यह राशि ऋण के रूप में नहीं बल्कि ग्रांट के रूप में दी जाती है।

शुरूआती तौर पर दुकान चलाने के लिए एक काबिल मैनेजर रखने के लिए 18,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि मैनेजर को साल भर तक तनखा देने के लिए होती है। यह भी यूनिसेफ द्वारा ग्रांट के रूप में दी जाती है। इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं।

रूरल सेनेटरी मार्ट खोलने वाली संस्थाओं को यूनिसेफ द्वारा प्रचार सामग्री जैसे पुस्तिकाएँ, फोल्डर और पोस्टर भी दिये जाएंगे।

---

**संपर्क करें :**
**यूनिसेफ फील्ड ऑफिस**
**ई 1/191, अरेरा कॉलोनी**
**भोपाल 462 016 (म.प्र.)**